रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 442]	नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 18, 2016/माघ 29, 1937
No. 442]	NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 18, 2016/ MAGHA 29 , 1937

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 फरवरी, 2016

सं. 6 /2016

का.आ. 520 (अ).—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के उपवाक्य (15) के उप-उपवाक्य (iv) की मद (ज) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार, एतद्द्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना, जो का. आ. 1827 (अ), दिनांक 6 जुलाई, 2015 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग-II, खंड-3, उपखंड-(ii) में प्रकाशित की गई थी, में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में—

क) पैरा 6, में उप-पैरा (ii) के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंत-स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“बशर्ते यह कि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, उप-पैरा (ii) के अंतर्गत ऐसे सार्वजनिक इश्यु के 60 प्रतिशत को खुदरा व्यष्टि निवेशकों के लिए नियत करेगा”

ख) पैरा 9 में, सारणी में-

i) क्रम संख्या 1 और उससे सम्बम्धित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित किया जाएगा , नामतः:-

क्र.सं.	निकाय	बंधपत्र की आबंटित राशि (रु. करोड़ में)
(1)	(2)	(3)
"1	भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई)	19000"

(ii) क्रम संख्या 7 और इससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, नामत::-

(1)	(2)	(3)
"8	राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड)	5000"

[फा. सं. 178/1/2016-आईटीए-1]

दीपशिखा शर्मा, निदेशक

टिप्पणीः मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग-II, खंड-3, उप-खंड (ii) में का. आ. 1827 (अ), दिनांक 6 जुलाई, 2015 के तहत प्रकाशित की गई थी।